(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

(16)

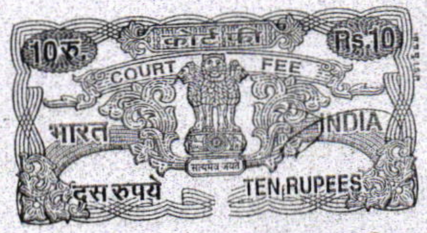

PBR/अपील/होशंगाबाद/भू-रा/2017/2553

शिवकुमार आत्मज मिश्रीलाल आयु करीब 35 वर्ष, ग्राम कोटवार ग्राम जासलपुर तहसील होशंगाबाद व जिला होशंगाबाद (म.प्र.)..................................अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन..उत्तरवादी

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त अपील अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 09अ-19(1) वर्ष 2009-10 शिवकुमार विरूद्ध शासन एवं न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा रा.प्र.क. 42/अपील/2015-16 आदेश दिनाँक 27.03.2017 से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है।

अभिभाषक श्री संदीप दुबे जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत 11/07/2017

24 11.07.17

आयुक्त कार्या. 25-7-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/अपील / होशंगाबाद / भू.रा. / 2017 / 2553

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27–3–2017 की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 22–4–2017 को प्राप्त होने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 11–7–2017 को अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है । विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का सद्भावी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	